संख्या-1/2018/1350/49-1-2017-07(14)/2012

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जनवरी, 2018

विषय- उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-7600/स्थापन/ई-13/2017-18 दिनांक 09-08-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015-288/44-1-2015-03 उ0वे0रि0/2001 दिनांक 16 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या-4/2016-77/44-1-2016-03 उ0वे0रि0/2001 दिनांक 22 अगस्त, 2016 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1 दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से अनुमन्य कराये जाने पर इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि इसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम स्वयं अपने श्रोतो से वहन करेंगे और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-1155/दस-2017 दिनांक 27-12-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1(1)/2018/1350/49-1-2017-07(14)/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-। एवं ।।, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

½मो0 जुनीद¼
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।